न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

अपील संख्याः–03/2021 भरण पोषण अधिनियम

जगदीश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री स्व. बृजमोहन शर्मा निवासी वार्ड नं. 18 हिसारिया चौक, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––अपीलाण्ट

बनाम

1. अतुल शर्मा पुत्र श्री जगदीश शर्मा निवासी वार्ड नं. 18 नजदीक शनि मंदिर पुराना बाजार, वर्तमान पता वार्ड नं. 15 मुरारीलाल का मकान पंजाबी मौहल्ला, हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. अनुपम छवि पत्नी श्री अतुल शर्मा निवासी वार्ड नं. 18 नजदीक शनि मंदिर पुराना बाजार हनुमानगढ़ टाउन, तहसील व जिला हनुमानगढ़।

––रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.08.2021 न्यायालय भरण पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ प्रकरण संख्या–07/2020 बअनवानी जगदीश चन्द्र शर्मा बनाम अतुल शर्मा आदि के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–12.05.2022**

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट की आयु 69 वर्ष है जो वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में अधिनियम 2007 के अन्तर्गत आता है। प्रार्थी हृदय रोगी है एवं जिसकी ऑपन हार्ट सर्जरी कुछ वर्ष पूर्व ही हुई है। प्रार्थी की पत्नी काफी समय से माईग्रेन की तकलीफ से पीड़ित है। प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी अपनी बीमारी के कारण अपना नित्यकर्म व खानपान के लिए भी असक्षम है जबकि अप्रार्थीगण किसी भी प्रकार से सेवा सुश्रुष व सहायता प्रार्थी व प्रार्थी की पत्नी की नहीं करते, प्रार्थी का छोटा पुत्र नौकरी पेशा दिल्ली में निवास करता है, जहां प्रार्थी दिल्ली के वातावरण व बीमारी के कारण निवास नहीं करता। प्रार्थी स्थाई तौर पर उपरोक्त वर्णित पते पर निवास करता है। अप्रार्थी संख्या 01, प्रार्थी का पुत्र व अप्रार्थी संख्यां 02 प्रार्थी की पुत्रवधू है। प्रार्थी की एकल स्वामित्व व स्वत्व का एक मकान वार्ड नं. 18 पुराना बाजार शनि मन्दिर के पास, हनुमनगढ़ टाउन में स्थित है।

पूर्व में अप्रार्थीगण, प्रार्थी के साथ ही निवास करते थे परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ पुरा व्यवहार व बदसलूक, तंग व परेशान करने लगे जिस पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अलग रहने को कहा गया तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को जरिये सार्वजनिक सूचना बेदखल किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी उक्त सम्पत्ति में अतिचारी की हैसियत से गैर कानूनी तरीके से निवास कर रहे है।

अपीलार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपने स्वामित्व व मालिकाना हक के मकान स्थित वार्ड नं. 18, हनुमानगढ़ टाउन को लेकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय

Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिए गए तथ्यों/अनुतोष के विपरित जाकर न्यायिक निर्णय दिया है। उक्त मकान पर अप्रार्थी सं. 01 व 02 द्वारा अनाधिक रूप से कब्जा किया हुआ है तथा अप्रार्थीगण, अपीलार्थी के एकल स्वामित्व की स्वअर्जित के मकान को प्राप्त करने के लिए हैरान परेशान कर रहे है तथा अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में भी अपीलार्थी के स्वामित्व व हक को स्वीकार किया है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक निर्णय में प्रस्तुत प्रार्थना को स्वामित्व से सम्बन्धित विवाद होना मानकर न्यायिक भूल की है। उक्त प्रार्थना पत्र अपीलार्थी की वृद्धावस्था को देखते हुए माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के कल्याण अधि. 2007 की भावना के अनुरूप अपने स्वयं के स्वामित्व की सम्पत्ति को खाली करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु न्यायालय अपीलार्थी की पीड़ा व अधि. के मर्म को समझने में विफल रहा तथा तथ्यों व अनुतोष के विपरित जाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त करने योग्य है।

अपीलार्थी ने दिनांक 30.12.2018 को अप्रार्थीगण के व्यवहार व दुराचरण से क्षुब्द होकर अपनी चल–अचल सम्पत्ति से जरिये सार्वजनिक सूचना बेदखल कर दिया था जिस पर अप्रार्थीगण, अपीलार्थी व उसकी धर्मपत्नी से रंजिश रखने लगे तथा अप्रार्थीगण ने साजिश रचकर बदनियति से अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान वार्ड नं. 18, नजदीक शनि मन्दिर हनुमानगढ़ टाउन स्थित मकान पर कब्जा कर रखा है तथा अनाधिकृत तरीके से उसे हड़पना चाहते है उक्त मकान अपीलार्थी के एकल स्वामित्व का स्वअर्जित सम्पति है, जो उसके बुढ़ापे में उसके भरण–पोषण हेतु काम आने योग्य है जबकि अप्रार्थीगण को उक्त मकान की कोई आवश्यकता नहीं है। अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अपना स्वयं का एक आवासीय मकान नई आबादी, गली नं. 18, हनुमानगढ़ टाउन में खरीद किया हुआ है।

अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी पर विभिन्न न्यायालयों में झूठे मुकदमें पेश किया जा रहे है तथा अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय में तथा समाज में गलत तरीके से यह प्रचारित किया जा रहा है कि अपीलार्थी के पास अपीलार्थी के स्वामित्व का मकान–पैतृक व संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है, जो कि सत्य नहीं है। उक्त मकान अपीलार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिस पर अपीलार्थी विधिक रूप से सम्पूर्ण हक व हकूक रखता है। अप्रार्थी सं. 02 के भरण–पोषण के सम्पूर्ण जिम्मेवार अप्रार्थी सं. 01 की है। अपीलार्थी, अप्रार्थीगण के साथ अपने सभी रिस्ते पूर्व में ही जरिये बेदखली समाप्त हो चुका है। अप्रार्थीगण, अपीलार्थी की सम्पत्ति में किसी हक व हकूक के हिस्सेदार नहीं है और ना ही अपीलार्थी अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति में से कोई हिस्सा व हकूक अप्रार्थीगण को देना चाहता है।

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश जारी करते समय अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत मकान के स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेजों का अवलोकन कर उस बारे में कोई तथ्य निर्णय के अन्दर अंकित ना कर त्रुटि कारित की है, उक्त मकान अपीलार्थी के द्वारा स्वअर्जित सम्पत्ति है जिस पर अप्रार्थीगण का किसी भी तरह का हक व हकूक नहीं है। अपीलाण्ट व उसकी पत्नी दोनों वृद्ध है व अपना शेष जीवनयापन बिना किसी कलह क्लेश से जीना चाहते है तथा अपीलार्थी के अन्य संतान भी है, जिसके साथ उसका मोह व रिश्ता कायम है, वह अपनी अन्य संतानों के साथ अपने स्वयं के स्वामित्व की सम्पति का उपयोग व उपभोग करना चाहता है, जिसमें अप्रार्थीगण गैर कानूरी तरीके से बाधा उत्पन्न कर रहे है। अपीलार्थी व उसकी पत्नी को अप्रार्थी सं. 01, अप्रार्थी सं. 02 व अप्रार्थी सं. 02 के परिवार से खतरा है। अप्रार्थीगण बदनियति से अपीलार्थी की सम्पति प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी व उसकी पत्नी के साथ किसी भी तरह की अनहोनी कर सकते है। अपीलान्ट का जब अप्रार्थी सं. 01 से किसी प्रकार का नाता ही नहीं तो अप्रार्थी सं. 02 किस हैसियत से अपीलान्ट के घर पर कब्जा कर सकती है जबकि अप्रार्थी सं. 02 का सम्पूर्ण दायित्व अप्रार्थी सं. 01 का है।

न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपीलार्थी एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति है जिसने ईमानदारीपूर्वक अपने वकालत के पेशे का निर्वहन किया व हमेशा न्याय के पथ पर चला, दुर्भागयपूर्ण आज वृद्ध अवस्था में स्वयं को अन्याय का सामना करना पड़ रहा है। अपीलार्थी को अप्रार्थी सं. 02 द्वारा पूर्व में भी गलत मुकदमों में फंसाने की धमकीयां दी गई है जिसके चलते अपीलान्ट, अप्रार्थीगण से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर न्यायिक आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थी की सुरक्षा को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे तथा माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की भावना के अनुरूप अपीलार्थी के एकल स्वामित्व का मकान स्थित वार्ड नं. 18, पुराना बाजार शनि मन्दिर के पास, हनुमानगढ़ टाउन को अप्रार्थी सं. 01 व अप्रार्थी सं. 02 अनुपम छवि से खाली करवाकर उक्त मकान व उसमें पड़ा अपीलार्थी का सामान अपीलार्थी को सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्टस को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। अपीलांट जरिये न्याय मित्र श्री राहुल बिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट सं. 02 जरिये न्याय मित्र श्री सतपाल लिम्बा उपस्थित, रेस्पोडेन्ट सं. 01 अनु.। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट को सुना गया। अपीलांट ने अपील में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या 01 व 02 ने साजिश रचकर बदनियति से अपीलार्थी के स्वामित्व के मकान वार्ड नं. 18, नजदीक शनि मन्दिर हनुमानगढ़ टाउन स्थित मकान पर कब्जा कर रखा है तथा अनाधिकृत तरीके से उसे हड़पना चाहते है उक्त मकान अपीलार्थी के एकल स्वामित्व का स्वअर्जित सम्पति है, जो उसके बुढापे में उसके भरण–पोषण हेतु काम आने योग्य है जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 01 द्वारा अपना स्वयं का एक आवासीय मकान नई आबादी, गली नं. 18, हनुमानगढ़ टाउन में खरीद किया हुआ है। रेस्पोडेन्ट सं. 02 के भरण–पोषण की सम्पूर्ण जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट सं. 01 की है। इसलिए रेस्पोडेन्ट सं. 02 अपने पति के मकान में रहें तथा रेस्पोडेन्ट सं. 01 निवास एवं भरण–पोषण के लिए अपने पति से ही मांग करे। अतः अपील प्रार्थना पत्र में विस्तृत वर्णित बिन्दुवार तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2021 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी के प्रश्नगत मकान को रेस्पोडेन्ट सं. 01 व रेस्पोडेन्ट सं. 02 से खाली करवाकर उक्त मकान व उसमें पड़ा अपीलार्थी का सामान अपीलार्थी को सुपुर्द किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

रेस्पोडेन्ट नं. 1 स्वयं व जरिये न्याय मित्र श्री सतपाल लिम्बा हाजिर आकर कथन किया कि अपील में अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं. 01 के मध्य दूरभिसंधि है। रेस्पोडेंट सं. 02 इस घर की बहू है जो अपने पुत्र व पुत्री सहित इस घर में निवास कर रही है। अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 01 दुरभिसंधि कर इस घर से निकालना चाहते है। रेस्पोडेंट सं. 02 ने रेस्पोडेंट सं. 01 व अपीलांट के विरूद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण माननीय अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट में प्रस्तुत कर रखा है जिसमें घरेलू हिंसा मं रेस्पोडेंट सं. 02 को इस घर से बेदखल नहीं किये जाने का प्रार्थना पत्र लम्बित है। अपीलांट अपनी दैनिक दिनचर्या करने में पूर्णरूप से सक्षम है। अपीलांट पेशे से अधिवक्ता है व कानूनी दावपेचों के तहत अपनी पुत्रवधू रेस्पोडेंट सं. 02 को येन–केन प्रकरेण घर से निकाल कर सड़क पर लाना चाहता है। अपीलांट के पास दो मकान है जिसमें एक मकान में वह स्वयं निवास करता है व दूसरे प्रश्नगत मकान में रेस्पोडेंट सं. 02 व एक पुत्री व पुत्र निवास कर रहे है। रेस्पोडेंट सं. 02 आज भी अपीलांट व सास की सेवा करना चाहती है, लेकिन दोनों ही रेस्पोडेंट सं. 02 व बच्चों को घर से निकालने पर उतारू है। वस्तुतः उक्त मकान एवं वार्ड नं. 18 में स्थित एक अन्य मकान जिसमें प्रार्थी का निवास है,

दोनों ही पक्षकारों की पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति है तथा उक्त दोनों ही मकान घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम में परिभाषितानुसार मुझ रेस्पोडेंट सं. 02 के लिए शामिलाती कौटूम्बिक गृह (Shared Household) की परिभाषा में आता है व रेस्पोडेंट सं. 02 इसी निवास में शादी कर आई थी और मुझ रेस्पोडेंट सं. 02 को इस मकान में रहने का पूर्ण अधिकार है। रेस्पोडेंट सं. 02 ने कोई कब्जा नहीं कर रखा है बल्कि अपने बच्चों सहित निवास करती आ रही है। रेस्पोडेंट के पास रहने के लिए कोई अन्य घर नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेंट सं. 02 व बच्चों को घर से बेघर नहीं करने का निवेदन किया है।

दोनो पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख व पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा यह अपील भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.08.2021 के विरूद्ध भरण–पोषण अधिनियम की धारा 16 के तहत की गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत मकान को रेस्पोडेन्ट सं. 01 व रेस्पोडेन्ट सं. 02 से खाली करवाकर उक्त मकान व उसमें पड़ा अपीलार्थी का सामान अपीलार्थी को सुपुर्द किये जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी के स्वयं कथनानुसार व अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन अनुसार अपीलार्थी व रेस्पोडेंटस अलग–अलग मकान में निवास कर रहे है जिससे दोनों पक्षों का परिवारिक विवाद होना प्रतीत होता है। जहां तक अपीलार्थी के भरण–पोषण का प्रश्न है जिसकी अपीलार्थी द्वारा मांग नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेंन्टस से भरण–पोषण राशि न मांग कर अपनी व अपनी पत्नी की बीमारी के खर्च व भरण–पोषण पोषण हेतु मात्र प्रश्नगत मकान को खाली करवाने का अनुतोष चाहा गया है जिसमें अपीलार्थी पेशे से वकालत पृष्ठभूमि से होने पर उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील सम्पत्ति के स्वामित्व व परिवारिक विवाद से सम्बन्धित होना प्रतीत होने के कारण इस न्यायालय स्तर पर कोई कार्यवाही किया जाना संभव नहीं है। इस हेतु सक्षम न्यायालय में अपीलार्थी नियमानुसार कार्यवाही कर वांछित अनुतोष विधि अनुसार प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़ को पालनार्थ वापिस लौटाया जावे। आदेश की प्रति जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं भरण–पोषण अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं पक्षकारों को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

आदेश आज दिनांक 12.05.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सत्यमेव जयते हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़